

प्रेस - विज्ञप्ति

थाना कोतवाली

24 घण्टे के अन्दर सोने की चैन स्नैचर करने वाली दो महिला गिरफ्तार

दिनांक 07.09.2021 को वादी एजाज अहमद पिता अब्दुल कलाम ग्राम राजेसुल्तानपुर थाना सुल्तानपुर जिला अम्बेडकर नगर द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया जिसमें मैं, मेरी माँ मरियम व मेरी पत्नी रजिया बानो ब्रह्मस्थान से ऑटो रिकशा में बैठकर जिला अस्पताल आजमगढ़ जा रहे थे कि रास्ते में पाण्डेय बाजार के आगे मेरी माँ का चैन उसमें बैठी दो औरतों ने चुरा लिया मुझे शक हुआ तो मैंने शोर मचाई तब तक यह दोनों भाग गयीं। जिसके सम्बन्ध में थाना हाजा पर मु0अ0सं0 278/21 धारा 379 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ श्री सुधीर कुमार सिंह द्वारा चलाये जा रहे अभियान अपराध नियंत्रण व अपराधियों की गिरफ्तारी के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर श्री पंकज कुमार पाण्डेय तथा क्षेत्राधिकारी (नगर) श्री सिद्धार्थ तोमर के कुशल पर्वेक्षण व प्र0नि0 के. के. गुप्ता के नेतृत्व में अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु थाना कोतवाली पर अलग-अलग टीम गठित कर अपराध/अपराधियों की धड़ पकड़ करने हेतु हेतु लगातार प्रयास के क्रम में -

दिनांक 8.9.21 को उ0नि0 कमलनयन दूबे मय हमराह का0 बिन्देश कुमार गौड़ , का0 अरुण कुमार पाण्डेय , का0 सोनू यादव व हस्बुल तलब हमराही म0का0 सुनीता व म0का0 अनीता देवी के साथ मु0अ0सं0 278/21 धारा 379 भादवि में क्षेत्र में मामूर था कि मुखविर खास द्वारा सूचना मिली कि दो महिलायें जो आटो में बैठी महिला का चैन काटी थी इस समय जिला अस्पताल आजमगढ़ में घूम रही हैं उसमें से एक ने गोद में बच्चा भी लिया है। अगर जल्दी किया जाय तो पकड़ी जा सकती है। इस सूचना पर विश्वास करके मय मुखबीर खास के जिला चिकित्सालय आजमगढ़ गेट नं0 2 पर पहुँचा तो मुखबीर खास ने ईशारा करके बताया कि साहब वही वो महिलायें हैं इतना बताकर मुखबिर खास हट बढ़ गया। हम पुलिस वालों देखकर अभियुक्तगण तेज कदमों से भागने लगी। हमराही महिला कर्म0गण की मदद से आवश्यक बल प्रयोग करके घेर घार कर एक बारगी समय करीब 08.30 बजे नाम पता पूछा गया तो पहले ने अपना नाम 1. मीरा देवी पत्नी गोविन्द प्रसाद निवासी लखनापार थाना बड़हलगंज जनपद गोरखपुर व दूसरी ने अपना नाम 2. सुमन पत्नी बिरजू निवासी लखनापार थाना बड़हलगंज जनपद गोरखपुर गोद में 10 माह का लड़का विराट को लिए हुए बताया पास से सोने की चैन बरामद हुआ। दोनों अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर अग्रिम विवेचनात्मक कार्यवाही की जा रही है।

पूर्व पंजीकृत अभियोग का विवरण—

1. मु0अ0सं0 278/21 धारा 379/411 भादवि

गिरफ्तार अभियुक्त -

1. मीरा देवी पत्नी गोविन्द प्रसाद निवासी लखनापार थाना बड़हलगंज जनपद गोरखपुर व
2. सुमन पत्नी बिरजू निवासी लखनापार थाना बड़हलगंज जनपद गोरखपुर

बरामदगी माल का विवरण-

1- एक अदद सोने की चैन।

गिरफ्तारी करने वाली टीम

1. उ0नि0 कमलनयन दूबे चौकी प्रभारी बलरामपुर
2. कां0 बिन्देश कुमार गौड़
3. कां0 अरुण कुमार पाण्डेय
4. कां0 सोनू यादव
5. म0कां0 सुनीता
6. म0कां0 अनिता देवी

समस्त थाना कोतवाली आजमगढ़